By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

# Lecture-1



Topic – State and its element

Class – B.A. Degree – I (Hons., P – I)

Subject – Political Science

Date – 9 Dec.,2020

By Rahulkumarjha.

## राज्य और उसके तत्व

राज्य, राजनीतिशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। प्राचीन विचारकों के अनुसार राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है और यह व्यक्तियों के लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय की भांति कार्य करती है। इसी विचारधारा के आधार पर अरस्तु और इसरो ने राज्य की परिभाषा दी है। अरस्तु के अनुसार "राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

प्राचीन विचारकों द्वारा राज्य को एक समुदाय कहा गया है लेकिन आधुनिक विचारकों के

अनुसार केवल व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण नहीं हो जाता, राज्य का रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक निश्चित क्षेत्र पर स्थायी तौर बसे हुए होने चाहिए और उनमें शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए।

## राज्य के तत्व :-

समस्त परिभाषाओं के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं -

i) जनसंख्या :- सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इस संबंध में विद्वानों के विचारों में पर्याप्त मतभेद हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य के के लिए जनसंख्या 5040 निर्धारित किया है। रूसो ने जनसंख्या 10,000 तय किया है जबकि अरस्तू के अनुसार जनसंख्या इतनी होनी चाहिए, जिसका भरण-पोषण उचित ढंग से किया जा सकता है। वास्तव में भी यही होना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में एक तरफ चीन

2020/10/9 11:15

भारत जैसा विशाल देश है तो वेटिकन सिटी जैसा अत्यधिक छोटा देश भी है।

(ii) भू-भाग :- इसके संदर्भ में विद्वानों का मत है कि एक राज्य के अंतर्गत इतना भू-भाग होना चाहिए, जिससे कि उस भू-क्षेत्र में निवास करने वालों का व्यवस्थित जीवन व्यतीत किया जा सकता है।

(iii) सरकार :- सरकार ही वास्तव में राज्य का मूर्त रूप है। सरकार के माध्यम से ही मूल्यों का आधिकारिक वितरण किया जाता है। समस्त जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण तथा राज्य का शासन-संचालन सरकार के द्वारा ही होता है।

(iv) संप्रभुता :- एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले तथा सरकार से सम्पन्न लोग भी उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि इनके पास में संप्रभुता न हो। राज्य की संप्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य आंतरिक रूप से सक्षम हो अर्थात अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो।